न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 125/2017

लखासिंह पुत्र थमणसिंह जाति जटसिख निवासी लालपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलाथी

बनाम

1. जसकरणसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी लालपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. जगतारसिह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी लालपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर
दिनांक 31.07.2017

उपस्थितः—

श्री मोहनलाल माहर, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री पी0एस0 बराड़ अभिषक रेस्पों.

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 14.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए का उपखंड अधिकारी सादुशहर के समक्ष पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के अपनी भूमि में जाने हेतु चक 30 एम. जे.डी. के खाता संख्या 99/100 प.न. 68/179 मु.न. 2 के कि0न0 25 में 12—1/2 फुट यानि डेढ़ बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे एवं प्रार्थी सं. 1 के नाम से प.न. 68/180 मु .न. 6 के कि.नं. 6/2 में से 12—1/2 फुट यानि डेढ़ बिस्वा भूमि अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे।

14/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है एवं भूमि के बदले में भूमि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी ने स्टेट को पक्षकार नही बनाया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात उपखंड अधिकारी सादुलशहर ने दिनांक 31.07.2017 को प्रार्थना प्रत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय ने बिना मौका की जांच किये एवं जांच का प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना आदेश पारित किया है। प्रार्थीगण ने जो रास्ता की मांग की है एवं जिसे स्वीकृत किया गया है वह किस रास्ता से जोड़ता है यह स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार अधी.न्यायालय ने जो रास्ता स्वीकृत किया है वह कानूनी प्रावधानों के तहत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है जिसे अधी.न्यायालय ने स्वीकार किया है एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अपीलांट को भूमि दिलाई गई है जिससे अपीलांट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 31.07.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें रेस्पों. को अपनी आराजी में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत किया है जो Speaking order नहीं होने से निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय के आदेश का कियात्मक भाग है कि चक 30 एम.जे.डी. खाता संख्या 99/100 प.न. 68/179 मु.न. 2 कि.न. 25 की पूर्व दिशा में 12-1/2 फुट यानि डेढ़ बिस्वा रास्ता स्वीकृत

14/12/17

किया जाता है एवं रास्ता की एवज में प्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 30 एम जे डी खाता संख्या 41/38 प.नं. 68/180 मु.न. 6 कि.न. 6/2 में 12–1/2 फुट यानि डेढ़ बिस्वा आराजी अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे ।

अपील मीमों की मुख्य आपत्ति है कि अधी.न्यायालय ने निर्णय से पूर्व रास्ते की आवश्यकता बाबत कोई मौका निरीक्षण नहीं करवाया गया परन्तु रेस्पो. अभिभाषक द्वारा पटवारी हल्का छींपावाली की दिनांक 15.08.2017 की दैनिक डायरी की सत्यप्रति पेश की जिसमें भू.अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा रास्ता प्रकरण चक 30 एम.जे.डी. मु.नं. 2 कि.नं. 25 का मौका देखना दर्शाया है दैनिक डायरी पी 35 के क्र.सं. 734 पर दर्ज होकर सत्यापित प्रति है जब तक अन्यथा यह असत्य साबित नहीं होती है एक सरकारी दस्तावेज होकर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है तथा कास्त की आवश्यकता का विवेचन होकर धारा 251ए आर.टी.ए. की मंशा अनुसार स्वीकृत होना दर्शाया है। तद्अनुसार अधी.न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर